

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 429]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 1 सितम्बर 2007—भाद्र 10, शक 1929 21

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2007

क्र. 5349-342-इक्कीस-अ-(प्रा).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 31 अगस्त, 2007 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अखिल कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २४ सन् २००७.

## मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल अधिनियम, २००७.

## विषय सूची

अध्याय—एक

प्रारंभिक

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.

अध्याय—दो

## व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की स्थापना, उसका गठन तथा कृत्य आदि

३. मण्डल का निगमन.
४. मण्डल का गठन.
५. मण्डल का सदस्य होने के लिए निरर्हता.
६. अध्यक्ष की नियुक्ति, उसकी पदावधि और सेवा शर्तें.
७. मण्डल का सचिव.
८. सदस्यों की पदावधि और आकस्मिक रिक्ति आदि का भरा जाना.
९. गणपूर्ति.
१०. मण्डल के उद्देश्य.
११. राज्य सरकार की शक्तियां.
१२. मण्डल निधि का गठन.
१३. मण्डल निधि की अभिरक्षा, विनिधान एवं उपयोग.
१४. बजट.
१५. मण्डल के लेखाओं की लेखा परीक्षा.
१६. अध्यक्ष की शक्तियां तथा कर्तव्य.
१७. मण्डल के अधिकारी तथा सेवक.
१८. संचालक की शक्तियां और कर्तव्य.
१९. कार्यपालक समिति.

अध्याय—तीन

प्रकीर्ण

२०. समितियों का गठन.
२१. मण्डल द्वारा समितियों को प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग.
२२. रक्तियों के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.
२३. नियम बनाने की शक्ति.
२४. विनियम बनाने की मण्डल की शक्ति.
२५. मण्डल की स्थापना पर आगामी परिणाम.
२६. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २४ सन् २००७.

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल अधिनियम, २००७.

[ दिनांक ३१ अगस्त, २००७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक १ सितम्बर, २००७ को प्रथमवार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का संचालन करने के लिये एक मण्डल की स्थापना करने तथा उससे संसक्त तथा आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अठ्ठावनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय—एक

प्रारंभिक

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल अधिनियम, २००७ है.

संक्षिप्त नाम,  
विस्तार और प्रारंभ.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है और यह उन क्रियाकलापों को भी लागू होगा जो मण्डल द्वारा मध्यप्रदेश के बाहर हाथ में लिये गये हैं.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

२. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं.

(क) "मण्डल" से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल;

(ख) "अध्यक्ष" (चेयरपर्सन) से अभिप्रेत है धारा ६ के अधीन नियुक्त किया गया मण्डल का अध्यक्ष (चेयरपर्सन);

(ग) "कार्यपालक समिति" से अभिप्रेत है धारा १९ के अधीन गठित कार्यपालक समिति;

(घ) "वित्त समिति" से अभिप्रेत है धारा २० की उपधारा (१) के अधीन गठित वित्त समिति;

(ङ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक-एफ. ८५/पच्चीस-४-८४, दिनांक २६ दिसम्बर, १९८४ द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(च) "विनियम" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन मण्डल द्वारा बनाये गये विनियम;

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा कोई जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४१ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा कोई जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४२ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है.

## अध्याय—दो

## व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की स्थापना, उसका गठन तथा कृत्य आदि.

## मण्डल का निगमन.

३. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के नाम से, ऐसी तारीख से एक मण्डल की स्थापना करेगी जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए.

(२) मण्डल, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के नाम से एक निगमित निकाय होगा और इसका शाश्वत उत्तराधिकार तथा एक सामान्य मुद्रा होगी और उसे जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने तथा धारण करने की शक्ति प्राप्त होगी और उसे उसके द्वारा धारण की गयी किसी भी सम्पत्ति का अंतरण करने तथा संविदा करने तथा उसके गठन के प्रयोजनों के लिये समस्त आवश्यक अन्य कार्य करने की शक्ति प्राप्त होगी और वह उसके निगमित नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगा या उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा.

## मण्डल का गठन.

४. (१) मण्डल का गठन अध्यक्ष तथा निम्नलिखित सदस्यों से होगा, अर्थात् :—

## पदेन-सदस्य.

- (क) प्रमुख सचिव या सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग;
- (ख) प्रमुख सचिव या सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग;
- (ग) प्रमुख सचिव या सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग;
- (घ) प्रमुख सचिव या सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग;
- (ङ) प्रमुख सचिव या सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग;
- (च) प्रमुख सचिव या सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग;
- (छ) कुलपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल;
- (ज) कुलपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर;
- (झ) निदेशक, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल;
- (ञ) आयुक्त, उच्च शिक्षा;
- (ट) संचालक, तकनीकी शिक्षा;
- (ठ) संचालक, भारतीय प्रबंध संस्थान, इन्दौर;
- (ड) संचालक, चिकित्सा शिक्षा;
- (ढ) संचालक, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, जो मण्डल का सदस्य-सचिव होगा;

## नामनिर्दिष्ट सदस्य.

- (ण) ग्यारह सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—
  - (एक) मध्यप्रदेश राज्य के विश्वविद्यालयों में से प्रबंधन पाठ्यक्रम चला रहे किसी विश्वविद्यालय का एक कुलपति;
  - (दो) राज्य के स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय का एक प्राचार्य या संचालक;
  - (तीन) राज्य के निजी, सहायता न प्राप्त करने वाले इंजीनियरिंग महाविद्यालयों का एक प्राचार्य या संचालक;

- (चार) राज्य के स्वशासी या शासकीय पॉलीटेकनिक महाविद्यालयों में से एक प्राचार्य;
- (पांच) फार्मसी में डिग्री या डिप्लोमा प्रदान करने वाली निजी क्षेत्र संस्थाओं का एक प्राचार्य या संचालक;
- (छह) प्रबंधन पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली निजी क्षेत्र संस्थाओं का एक प्राचार्य या संचालक;
- (सात) कम्प्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली निजी क्षेत्र संस्थाओं का एक प्राचार्य या संचालक;
- (आठ) मध्यप्रदेश विधान सभा के दो सदस्य;
- (नौ) हित का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे दो व्यक्ति जिनका अन्यथा प्रतिनिधित्व न हुआ हो:

परन्तु यथा संभव और उपलब्धता के अधीन रहते हुए, खण्ड (ण) के अधीन नामनिर्दिष्ट ग्यारह सदस्यों में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों में से प्रत्येक का एक-एक सदस्य होगा।

(२) अध्यक्ष को किसी विषय के विशेषज्ञ को, यदि आवश्यकता हो, आमंत्रित करने की शक्ति होगी।

(३) प्रत्येक सदस्य का नामनिर्देशन, मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

५. कोई भी व्यक्ति, सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने या सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निरहित होगा, यदि वह स्वयं या अपने भागीदार द्वारा मण्डल के लिए या मण्डल की ओर से किए गए, किसी कार्य में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अंश या हित रखता हो।

मण्डल का सदस्य होने के लिए निरहित।

६. (१) राज्य सरकार द्वारा, मध्यप्रदेश शासन के मुख्य सचिव की पद श्रेणी का कोई अधिकारी मण्डल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

अध्यक्ष की नियुक्ति, पदावधि एवं सेवा शर्तें।

(२) अध्यक्ष की पदावधि तथा सेवा शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि विनियमों द्वारा विहित की जाएं।

७. अध्यक्ष, मण्डल के सम्मिलनों के लिये कार्यसूची टिप्पण तैयार करने, कार्यवृत्त का अभिलेखन करने तथा मण्डल के सम्मिलनों में लिए गए विनिश्चयों की मानिटारिंग करने के लिए मण्डल के एक अधिकारी को, जो मण्डल के संयुक्त नियंत्रक की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो, मण्डल के सचिव के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा तथा मण्डल का सचिव, कार्यपालक समिति के सचिव के रूप में भी कृत्य करेगा।

मण्डल का सचिव।

८. (१) धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि उनके नामनिर्देशन की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की होगी:

सदस्यों की पदावधि और आकस्मिक रिक्ति आदि का भरा जाना।

परन्तु धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (ण) के उपखण्ड (आठ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि विधान सभा के साथ तक सहविस्तारी होगी।

(२) यदि राज्य सरकार का यह विचार है कि किसी नामनिर्दिष्ट सदस्य का अपने पद पर बना रहना लोक हित में नहीं है, तो राज्य सरकार उसके नामनिर्देशन की समाप्ति का आदेश दे सकेगी और तदुपरि वह, इस बात के होते हुए भी कि वह अवधि, जिसके लिये उसे नामनिर्दिष्ट किया गया था, समाप्त नहीं हुई है, मण्डल का सदस्य नहीं रहेगा।

(३) मण्डल का कोई भी नामनिर्दिष्ट सदस्य, राज्य सरकार को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और उसे राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा।

(४) किसी सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या नामनिर्देशन की समाप्ति के कारण या किसी अन्य कारण से होने वाली आकस्मिक रिक्ति की दशा में, ऐसी रिक्ति नामनिर्देशन द्वारा भरी जायेगी तथा ऐसी रिक्ति के भरे जाने के लिये नामनिर्दिष्ट किया गया कोई व्यक्ति उतनी अवधि तक उस पद पर रहेगा जितनी अवधि तक कि वह व्यक्ति जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किया गया हो, उस पद पर रहता और उससे अधिक नहीं।

(५) बहिर्गामी सदस्य, यदि वह अन्यथा अर्ह हो, पुनः नामनिर्देशन के लिये पात्र होगा।

(६) जहाँ कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य, अध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा के बिना मण्डल के तीन क्रमवर्ती सम्मिलनों में स्वयं अनुपस्थित रहता है, तो वहाँ यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद त्याग दिया है।

गणपूर्ति.

९. मण्डल के किसी सम्मिलन के लिये गणपूर्ति, सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से होगी।

मण्डल के उद्देश्य.

१०. मण्डल के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे, अर्थात् :-

(क) राज्य सरकार, अन्य राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार, विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय या राज्य-स्तरीय संस्थाओं के अनुरोध पर, विभिन्न व्यावसायिक तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये प्रवेश परीक्षाओं का संचालन करना;

(ख) राज्य सरकार, अन्य राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, अर्द्धशासकीय संस्थाओं द्वारा की जा रही नियुक्तियों के संबंध में चयन पद्धति विकसित करना और/या चयन प्रक्रिया का संचालन करना और उनके अनुरोध पर ऐसा चयन करना।

राज्य सरकार की शक्तियां.

११. (१) राज्य सरकार को यह शक्ति होगी कि वह मण्डल द्वारा संचालित की गई या की गई किसी भी बात के संबंध में मण्डल को संबोधित करे और किसी भी ऐसे विषय पर जिससे मण्डल का संबंध है अपना दृष्टिकोण संसूचित करे।

(२) मण्डल, ऐसी कार्रवाई की, यदि कोई हो, जिसे उसके द्वारा किया जाना प्रस्तावित है या जो राज्य सरकार की संसूचना पर की गई है, राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा और यदि वह उस पर कार्रवाई करने में असफल रहता है तो स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा।

(३) यदि मण्डल, राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप में युक्तियुक्त समय के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो राज्य सरकार, मण्डल द्वारा प्रस्तुत किये गये या दिये गये किसी भी स्पष्टीकरण पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् इस अधिनियम से सुसंगत ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जैसा वह उचित समझे, और मण्डल स्थिति के अनुसार ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

(४) जब किसी आपातक परिस्थिति में राज्य सरकार की राय में तुरन्त कार्रवाई की जाना अपेक्षित हो, तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन मण्डल की ऐसी शक्तियों का प्रयोग जैसा कि वह आवश्यक समझे, मण्डल के पूर्व परामर्श के बिना कर सकेगी और की गई कार्रवाई की सूचना मण्डल को तुरन्त देगी।

(५) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा उसके कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए, मण्डल के किसी संकल्प या आदेश के निष्पादन को निलंबित कर सकेगी और मण्डल को आदेशित कार्य को करने से या किये जाने के लिये तात्पर्यित आदेश के संबंध में कार्य करने से प्रतिषिद्ध कर सकेगी, यदि राज्य सरकार की यह राय है कि ऐसा संकल्प, आदेश या कृत्य इस अधिनियम के अधीन बोर्ड को प्रदत्त की गई शक्तियों से बाहर हैं।

मण्डल निधि का गठन.

१२. मण्डल के लिये एक मण्डल निधि गठित की जायेगी और इस अधिनियम के अधीन या अन्यथा मण्डल द्वारा या मण्डल की ओर से प्राप्त समस्त धन उसमें निक्षिप्त किया जाएगा।

मण्डल निधि की अभिरक्षा, विनिधान एवं उपयोग.

१३. (१) मण्डल निधि में जमा समस्त धन ऐसे बैंक में, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जाय, निक्षिप्त किया जायेगा :

परन्तु यह नहीं समझा जाएगा कि वह मण्डल को ऐसे धनों का, जो तत्काल व्यय के लिये अपेक्षित नहीं है, किन्हीं भी शासकीय प्रतिभूतियों में विनिधान करने से प्रविरत करती है।

(२) अध्यक्ष द्वारा मण्डल निधि का उपयोग, इस अधिनियम के अधीन, मण्डल पर अधिरोपित किसी भी बाध्यता की पूर्ति करने के लिये किया जा सकेगा।

१४. (१) मण्डल, आगामी वित्तीय वर्ष के लिये बजट ऐसी रीति में तैयार करेगा, जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाय, और उसे राज्य सरकार की मंजूरी के लिये ऐसी तारीख तक जो ऐसे वित्तीय वर्ष की पूर्ववर्ती इकतीस जनवरी के पश्चात् न हो, अग्रेषित करेगा और राज्य सरकार उसके संबंध में ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जैसा कि वह उचित समझे और मण्डल को ऐसे वित्तीय वर्ष की पूर्ववर्ती इकतीस मार्च तक उसकी संसूचना देगा और मण्डल ऐसे आदेशों को प्रभावी बनायेगा :

विहित बजट.

परन्तु यदि मण्डल को ऊपर निर्दिष्ट इकतीस मार्च तक मंजूरी की संसूचना न दी जाए, तो बजट के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह बिना किसी उपान्तरण के राज्य सरकार द्वारा मंजूर कर दिया गया है।

(२) मण्डल, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान उस वर्ष के लिये अनुपूरक बजट तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को, उसकी मंजूरी के लिये ऐसी तारीख को प्रस्तुत करेगा जो उक्त वित्तीय वर्ष के इकतीस अक्टूबर के पश्चात् न हो, और राज्य सरकार उसके संदर्भ में ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जिन्हें कि वह उचित समझे और उक्त वित्तीय वर्ष के तीस नवम्बर तक मण्डल को उसकी संसूचना देगी और मण्डल ऐसे आदेशों को प्रभावी बनाएगा :

परन्तु यदि मण्डल तो तीस नवम्बर तक मंजूरी की संसूचना न दी जाय, तो अनुपूरक बजट के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह बिना किसी उपान्तरण के राज्य सरकार द्वारा मंजूर कर दिया गया है।

१५. मण्डल के लेखाओं की लेखा परीक्षा प्रतिवर्ष ऐसे अधिकरण द्वारा की जाएगी जो कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए और लेखा-परीक्षित लेखे और संतुलन-पत्र (बेलेन्स सीट) की एक प्रति मण्डल द्वारा राज्य सरकार को प्रतिवर्ष ऐसी तारीख तक प्रस्तुत की जाएगी जिसे कि राज्य सरकार नियमों द्वारा विहित करे।

मण्डल के लेखाओं की लेखा परीक्षा.

१६. (१) अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों का पालन निष्ठापूर्वक किया जाए और उसे इस प्रयोजन के लिये आवश्यक समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी।

अध्यक्ष की शक्तियां तथा कर्तव्य.

(२) अध्यक्ष, जब कभी वह उचित समझे, कम से कम पूरे इक्कीस दिन की सूचना देने के पश्चात् सम्मेलन बुला सकेगा और ऐसे लिखित अनुरोध के, जो कि मण्डल के कम से कम नौ सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हो, जिसमें सम्मेलन के समक्ष लाये जाने वाले कामकाज का उल्लेख हो, प्राप्त होने के चौदह दिन के भीतर, सम्मिलन बुलाने के लिये आवद्ध होगा।

(३) मण्डल के कामकाज से उद्भूत होने वाली किसी आपात स्थिति में, जो अध्यक्ष की राय में तुरन्त कार्रवाई किया जाना अपेक्षित बनाती है, अध्यक्ष ऐसी कार्रवाई करेगा, जिसे कि वह आवश्यक समझे, और तत्पश्चात् मण्डल के अगले सम्मिलन में, अपनी की गई कार्रवाई रिपोर्ट को रखेगा।

(४) अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विनियमों द्वारा उसमें निहित की जाएं।

(५) अध्यक्ष, ऐसी शक्तियों को तथा ऐसे कर्तव्यों को जो उसे इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई हो या उस पर अधिरोपित किये गये हों विनिर्दिष्ट एक लिखित आदेश द्वारा ऐसी शक्तियों और न्यस्त कर्तव्यों को संचालक को विनिर्दिष्ट करते हुए संचालक को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

१७. (१) मण्डल का एक संचालक होगा तथा उतनी संख्या में नियंत्रक, संयुक्त नियंत्रक, उपनियंत्रक, सहायक नियंत्रक एवं अन्य अधिकारी होंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाए।

मण्डल के अधिकारी तथा सेवक.

(२) राज्य सरकार, मण्डल के परामर्श से प्रतिनियुक्त पदों के विरुद्ध अधिकारियों को नियुक्त करेगी।

(३) मण्डल, राज्य सरकार द्वारा विहित किये गये नियमों के अनुसार विभागीय पदों के विरुद्ध अधिकारियों को नियुक्त करेगा।

(४) मण्डल उपधारा (६) के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, ऐसे अधिकारियों को, जिनमें अधीक्षक तथा अन्य सेवक भी सम्मिलित हैं, जैसा कि वह आवश्यक समझे, अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण अनुपालन करने हेतु नियुक्त करेगा।

(५) मण्डल के अधिकारियों तथा सेवकों की सेवा शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि नियमों द्वारा विहित किया जाए।

(६) मण्डल, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई पद सृजित नहीं करेगा।

संचालक की शक्तियां तथा कर्तव्य।

१८. (१) संचालक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा और अध्यक्ष के नियंत्रण के अध्यक्षीन रहते हुए, ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसे कि मण्डल द्वारा उसे सौंपे जाएं।

(२) संचालक, यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि समस्त धन उन्हीं प्रयोजनों पर व्यय किया जाता है, जिनके लिये वह मंजूर या आवंटित किया गया है।

(३) संचालक, मण्डल और कार्यपालक समिति का सम्मिलन आयोजित करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(४) संचालक, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं।

कार्यपालक समिति।

१९. (१) मण्डल की एक कार्यपालक समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे :—

(क)	अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल	अध्यक्ष.
(ख)	प्रमुख सचिव या सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग	सदस्य.
(ग)	प्रमुख सचिव या सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग	सदस्य.
(घ)	प्रमुख सचिव या सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग	सदस्य.
(ङ)	कुलपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल	सदस्य.
(च)	संचालक, तकनीकी शिक्षा	सदस्य.
(छ)	संचालक, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल	सदस्य-सचिव.

(२) कार्यपालक समिति कम से कम तीन मास में एक बार सम्मिलन करेगी :

परन्तु मण्डल का अध्यक्ष, यदि आवश्यक समझे, किसी भी समय सम्मिलन बुला सकेगा।

(३) कार्यपालक समिति के सम्मिलन के लिये गणपूर्ति चार सदस्यों से होगी।

(४) कार्यपालक समिति, मण्डल के सामान्य नियंत्रण, निदेश और अधीक्षण के अधीन रहते हुए मण्डल की क्षमता के भीतर किसी भी मामले में कार्रवाई करने के लिये सक्षम होगी।

अध्याय—तीन

प्रकीर्ण

समितियों का गठन।

२०. (१) मण्डल अपने सदस्यों और अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों में से, मण्डल तथा कार्यपालक समिति को उनके कृत्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिये ऐसी समितियां गठित कर सकेगा जैसी कि विनियमों द्वारा विहित की जाएं और निम्नलिखित समितियां विशिष्टतया गठित कर सकेगा :—

(क) पाठ्यचर्या समिति;



- (ख) परीक्षा समिति; और  
(ग) वित्त समिति.

(२) प्रत्येक ऐसी समिति में मण्डल के ऐसे सदस्य तथा ऐसे अन्य व्यक्ति होंगे जो विनियमनों द्वारा विहित किए जाएं.

(३) ऐसी समितियों के सदस्य, ऐसे समय पर्यन्त पद धारण करेंगे, जिसे कि मण्डल, जिसने उन्हें नियुक्त किया है, समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे.

२१. मण्डल द्वारा ऐसी शक्तियों के, जो इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त की गई हों, प्रयोग से संबंधित समस्त मामले, जो कि मण्डल ने विनियमों द्वारा धारा २० के अधीन गठित की गई किसी समिति को प्रत्यायोजित कर दिये हों, उस समिति को निर्दिष्ट किये गये समझे जाएंगे, और मण्डल किन्हीं भी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के पूर्व, प्रश्नाधीन मामले के संबंध में समिति की रिपोर्ट प्राप्त करेगा और उस पर विचार करेगा :

मण्डल द्वारा समितियों को प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग.

परन्तु जहां, मण्डल की राय में किसी भी ऐसे मामले के संबंध में तत्काल कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो, वहां वह उसके संबंध में समिति की रिपोर्ट के बिना ही उस पर कार्यवाही करने के लिये अग्रसर हो सकेगा और उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे.

२२. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों, विनियमों या उपविधियों के उपबंधों के अधीन मण्डल, कार्यपालक समिति या धारा २० के अधीन गठित समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाही, मण्डल या ऐसी समिति के सदस्यों के बीच केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी.

रिक्तियों के कारण कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी.

२३. (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं भी प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी.

नियम बनाने की शक्ति.

(२) उपधारा (१) के अधीन बनाए गए समस्त नियम, विधान-सभा के पटल पर रखे जाएंगे.

२४. (१) मण्डल, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से असंगत न हो.

मण्डल की विनियम बनाने की शक्ति.

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मण्डल निम्नलिखित समस्त विषयों या किसी विषय के लिये उपबंध करने हेतु विनियम बना सकेगा, अर्थात् :-

- (क) परीक्षाओं का संचालन;  
(ख) मण्डल की परीक्षा में प्रवेश के लिये फीस;  
(ग) मण्डल द्वारा संचालित परीक्षाओं के परिणामों का प्रकाशन;  
(घ) उन अभ्यर्थियों की जो मण्डल द्वारा संचालित परीक्षाओं में उपस्थित हुए हों, अंक-सूची, प्रमाण-पत्र आदि जारी करना;  
(ङ) मण्डल द्वारा संचालित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अनुचित साधनों को अपनाने या परीक्षाओं में बाधा डालने पर शास्ति अधिरोपित करना;  
(च) विभिन्न क्रियाकलापों के लिये विशेषज्ञों, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनके कर्तव्यों और शक्तियों का अवधारण तथा उनकी नियुक्तियों का समाप्त करना;  
(छ) उपरोक्त खण्ड (च) में वर्णित व्यक्तियों के मानदेय या पारिश्रमिक का अवधारण करना;  
(ज) परीक्षाओं तथा अन्य संबंधित क्रियाकलापों के बारे में मानकों और खर्च का अवधारण करना;  
(झ) मण्डल द्वारा संचालित परीक्षाओं के संबंध में आंकड़े (डाटाबेस) तैयार करना;

- (ज) छात्रवृत्तियां, पदक और पारितोषिक संस्थित करना तथा प्रदान करना;
- (ट) मण्डल के अधिकारियों, लिपिकों और अन्य सेवकों की नियुक्तियां और उनकी सेवा की शर्तें;
- (ठ) मण्डल के सभी प्रकार के वित्त के संबंध में नियंत्रण, प्रशासन, सुरक्षित अभिरक्षा और उसका प्रबंध करना;
- (ड) विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिये टेस्ट बैंक का विकास तथा प्रकाशन करना;
- (ढ) प्रवेश परीक्षाओं के बाद प्रवेश प्रक्रिया हेतु काउंसिलिंग आयोजित करना;
- (ण) विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों को आन लाइन केरियर काउंसिलिंग देने के लिये आधुनिक अवसंरचना का विकास करना;
- (त) राज्य सरकार के अनुदेश पर कौशल परख और विशिष्ट वृत्तियों (प्रोफेशंस) में प्रमाण-पत्र प्रदान करना;
- (थ) समस्त विषय जो इस अधिनियम द्वारा या विनियमों द्वारा उपबंधित किये गये हों या किये जा सकते हैं.

(३) इस धारा के अधीन बनाए गए विनियम मध्यप्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, १९५७ (क्रमांक ३ सन् १९५८) की धारा २४ में उपवर्णित रीति में पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन होंगे और तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि वे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिए जाएं और राजपत्र में प्रकाशित न कर दिए जाएं.

(४) जब मण्डल द्वारा विनियमों का प्रथम प्रारूप राज्य सरकार को उपधारा (३) के अधीन अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जाए, तो राज्य सरकार, ऐसे प्रारूप के प्रस्तुत किये जाने की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर, मण्डल को या तो प्रारूप के अनुमोदन कर लिए जाने या अस्वीकार कर दिए जाने के संबंध में संसूचित करेगी या उसमें ऐसे उपान्तरण का सुझाव देगी जैसा कि प्रारूप में आवश्यक समझे जाएं, तथा यदि उपर्युक्त कालावधि के भीतर राज्य सरकार कोई कार्रवाई करने में असफल रहती है, तो मण्डल द्वारा प्रस्तुत किया गया अंतिम प्रारूप राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया समझा जाएगा और तदनुसार राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा.

मण्डल की स्थापना पर आगामी परिणाम.

२५. धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन मण्डल की स्थापना के लिये विनिर्दिष्ट तारीख से निम्नलिखित आगामी परिणाम होंगे, अर्थात् :-

- (क) उपरोक्त तारीख के ठीक पूर्व विद्यमान व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मण्डल में विलीन हो जाएगा;
- (ख) राज्य सरकार के विद्यमान व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की समस्त आस्तियां और दायित्व धारा ३ के अधीन स्थापित मण्डल में निहित हो जाएंगी;
- (ग) विद्यमान व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के या उसके नियंत्रण के अधीन के समस्त कर्मचारी धारा ३ के अधीन स्थापित किए गए मण्डल के कर्मचारी समझे जाएंगे :

परन्तु ऐसे कर्मचारियों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें ऐसी रीति में उपान्तरित नहीं की जाएंगी जो कि उनके लिये कम अनुकूल हों;

- (घ) विद्यमान व्यावसायिक परीक्षा-मण्डल के समस्त अभिलेख तथा कागज पत्र, धारा ३ के अधीन स्थापित मण्डल में निहित और अंतरित हो जाएंगे;
- (ङ) विद्यमान व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के अधीन चल रही कोई कार्रवाई या प्रक्रिया धारा ३ के अधीन स्थापित मण्डल को अंतरित हो जाएंगी.

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति.

२६. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती हो तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, कठिनाई दूर कर सकेगी :

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2007

क्र. 5350-342-इक्कीस-अ-(प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल अधिनियम, 2007 (क्रमांक 24 सन् 2007) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अखिल कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

MADHYA PRADESH ACT  
NO. 24 OF 2007.

THE MADHYA PRADESH VYAVSAYIK PARIKSHA MANDAL ADHINIYAM, 2007.

TABLE OF CONTENTS.

CHAPTER-I  
PRELIMINARY

*Sections:*

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.

CHAPTER-II  
ESTABLISHMENT OF THE PROFESSIONAL EXAMINATION BOARD, ITS CONSTITUTION,  
FUNCTIONS ETC.

3. Incorporation of the Board.
4. Constitution of the Board.
5. Disqualification for being a member of the Board.
6. Appointment of the Chairperson, his tenure and service conditions.
7. Secretary of the Board.
8. Tenure of the members and filling of casual vacancy etc.
9. Quorum.
10. Objective of the Board.
11. Powers of the State Government.
12. Constitution of the Board Fund.
13. Custody, Investment and utilization of the Board Fund.
14. Budget.
15. Audit of the accounts of the Board.
16. Powers and duties of the Chairperson.
17. Officers and servants of the Board.
18. Powers and duties of the Director.
19. Executive Committee.

CHAPTER-III  
MISCELLANEOUS

20. Constitution of Committee.
21. Exercise of powers delegated by Board to Committees.
22. Proceedings not invalidate by reason of vacancies.
23. Power to make rules.
24. Power of Board to make regulations.
25. Consequences to ensue on establishment of the Board.
26. Power to remove difficulties.

## MADHYA PRADESH ACT

NO. 24 OF 2007.

## THE MADHYA PRADESH VYAVSAYIK PARIKSHA MANDAL ADHINIYAM, 2007.

[Received the Assent of the Governor on the 31st August, 2007; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 1st September, 2007.]

**An Act to provide for the establishment of a Board for conducting examinations in professional courses and matters connected therewith and incidental thereto.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty-eighth year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER-I  
PRELIMINARY

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal Adhiniyam, 2007.

(2) It extends to the whole of Madhya Pradesh and it applies also to the activities undertaken by the Board outside Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Board" means the Madhya Pradesh Professional Examination Board established under Section 3;

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Board appointed under Section 6;

(c) "Executive Committee" means the Executive Committee constituted under Section 19;

(d) "Finance Committee" means the Finance Committee constituted under sub-section (1) of Section 20;

(e) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government *vide* Notification No. F. 85-XXV-4-84, dated the 26th December, 1984 as amended from time to time;

(f) "Regulations" means the regulations made by the board under this Act;

(g) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of, or group within caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the constitution of India;

(h) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part of, or group within such tribe or tribal community, specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India.

CHAPTER-II  
ESTABLISHMENT OF THE PROFESSIONAL EXAMINATION BOARD, ITS  
CONSTITUTION, FUNCTIONS ETC.

Incorporation of the Board.

3. (1) The State Government shall establish by a notification, a Board to be called the Madhya Pradesh Professional Examination Board with effect from such date as may be specified in the notification.

(2) The Board shall be a body corporate by the name of the Madhya Pradesh Professional Examination Board and shall have perpetual succession and a common seal with power to acquire and hold property, both movable and immovable and shall have power to transfer any property held by it and to contract and do all other things necessary for the purposes of its constitution and may sue or be sued in its corporate name.

4. (1) The Board shall consist of the Chairperson and the following members, namely:—

Constitution of  
the Board.

#### Ex-officio Members

- (a) Principal Secretary or Secretary, Government of Madhya Pradesh, Technical Education and Training Department;
- (b) Principal Secretary or Secretary, Government of Madhya Pradesh, Finance Department;
- (c) Principal Secretary or Secretary, Government of Madhya Pradesh, Higher Education Department;
- (d) Principal Secretary or Secretary, Government of Madhya Pradesh, Medical Education Department;
- (e) Principal Secretary or Secretary, Government of Madhya Pradesh, School Education Department;
- (f) Principal Secretary or Secretary, Government of Madhya Pradesh, Public health and Family Welfare Department;
- (g) Vice-Chancellor, Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal;
- (h) Vice-Chancellor, Jawahar Lal Nehru Agriculture University, Jabalpur;
- (i) Director, National Law Institute University, Bhopal;
- (j) Commissioner, Higher Education;
- (k) Director, Technical Education;
- (l) Director, Indian Institute of Management, Indore;
- (m) Director, Medical Education;
- (n) Director, Madhya Pradesh Professional Examination Board, who shall be the Member-Secretary of the Board;

#### Nominated Members

- (o) Eleven members to be nominated by the State Government who shall include:—
  - (i) One Vice-Chancellor of a University, from the Universities of the State of Madhya Pradesh running Management courses;
  - (ii) One Principal or Director of an autonomous Engineering College of the state;
  - (iii) One Principal or Director from the private unaided Engineering Colleges of the State;
  - (iv) One Principal from the autonomous or Government Polytechnic Colleges of the State;

- (v) One Principal or Director from the private sector institutions offering degree or diploma in Pharmacy;
- (vi) One Principal or Director from the private sector institutions offering management courses;
- (vii) One Principal or Director from the private sector institutions offering Computer Application Courses;
- (viii) Two members of the Madhya Pradesh Legislative Assembly;
- (ix) Two persons representing interests not represented otherwise:

Provided that as far as possible and subject to availability, out of eleven members nominated under clause (o), one member each shall be from the Schedule Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(2) The Chairman shall have the power to invite any subject specialist, if needed.

(3) The nomination of every member shall be notified in the "Madhya Pradesh Gazette".

Disqualification for being a member of the Board.

5. A person shall be disqualified for being nominated or for continuing as a member, if he directly or indirectly, by himself or by his partner has any share or interest in any work done for or on behalf of the Board.

Appointment of the Chairperson, his tenure and service conditions.

6. (1) An officer of the rank of Chief Secretary to the Government of Madhya Pradesh shall be appointed by the State Government as Chairperson of the Board.

(2) The tenure and service conditions of the Chairperson shall be such as may be prescribed by the regulations.

Secretary of the Board.

7. The Chairman shall nominate an officer, not below the rank of Joint Controller of the Board, to act as Secretary of the Board for preparing the agenda notes, recording the minutes and for monitoring the implementation of the decisions taken in the meetings of the Board and the Secretary of the Board shall also function as the Secretary of the Executive Committee.

Tenure of the members and filling of casual vacancy etc.

8. (1) The tenure of the members nominated under sub-section (1) of Section 4 shall be three years from the date of notification of their nomination:

Provided that the tenure of members nominated under sub-clause (viii) of clause (o) of sub-section (1) of Section 4 shall be coterminous with the Legislative Assembly.

(2) If the State Government considers that the continuance in office of any nominated member is not in public interest, the State Government may make an order terminating his nomination and thereupon, he shall cease to be a member of the Board, notwithstanding that the term for which he was nominated has not expired.

(3) any nominated member of the Board may resign his office by a letter addressed to the State Government and the same shall be notified in the official Gazette.

(4) In the event of a casual vacancy occurring by reason of death, resignation or termination of nomination of a member or for any other reason, such vacancy shall be filled by nomination, and any person nominated to fill such vacancy shall hold office for the term for which it was tenable by the person in whose place he has been so nominated and no longer.

(5) An outgoing member shall, if otherwise qualified, be eligible for re-nomination.

(6) Where any nominated member absents himself, without prior permission of the Chairperson from three consecutive meetings of the Board, he shall be deemed to have resigned from his office.

9. The quorum for a meeting of the board shall be one-third of the total number of members. Quorum.
10. The following shall be the objectives of the Board, namely :— Objectives of the Board.
- (a) to conduct entrance examination for admission to various professional and other educational institutions, on the request of the State Government, other State Governments, Central Government, Universities and national or state level institutions;
- (b) to develop the selection systems and/or conduct selection process in respect of the appointments being made by the State Government, other State Governments, Central Government, public sector undertakings, Semi-Government Institutions and to conduct such selection on their request.
11. (1) The State Government shall have the power to address the Board in respect of anything conducted or done by the Board and to communicate to the Board its views on any matters with which the Board is concerned. Powers of the State Government.
- (2) The Board shall report to the State Government such action, if any, as it proposes to take or has taken upon the communication and shall furnish an explanation if it fails to take action thereon.
- (3) if the Board does not take any action within a reasonable time to the satisfaction of the State Government the State Government may, after due consideration of any explanation furnished or submission made by the Board, issue such directions consistent with this Act, as it may deem fit and the Board shall as per the situation, comply with such directions.
- (4) When any emergency in the opinion of the State Government requires that immediate action should be taken the State Government may exercise such of the powers of the Board under this Act, as it deems necessary without previous consultation with the Board and shall forth with inform the Board of the action taken.
- (5) The State Government may, by order in writing specifying the reasons thereof, suspend the execution of any resolution or order of the Board, and prohibit the doing of an act ordered to be, or purporting to be ordered to be done by the Board, if the State Government is of the opinion that such resolution, order or act is in excess of the powers conferred by or under this Act upon the Board.
12. A Board Fund shall be constituted for the Board and all moneys received by or on behalf of the Board under this Act or otherwise, shall be deposited in it. Constitution of the Board Fund.
13. (1) All moneys credited to the Board Fund shall be deposited in such Bank as may be determined by the Chairperson: Custody, investment and utilization of the Board Fund.
- Provided that it shall not be deemed to preclude the Board from investing such moneys as are not required for immediate expenditure in any of the Government Securities.
- (2) The Board Fund may be utilized by the Chairperson to meet out any of the obligation imposed upon the Board under this Act.
14. (1) The Board shall prepare in such manner as may be by regulations, the budget for the ensuing financial year and forward it to the State Government for its sanction not later than the thirty-first day of January preceding such financial year and the State Government may pass such orders with reference thereto as it thinks fit and shall communicate the same to the Board by the thirty-first day of March preceding such financial year and the Board shall give effect to such orders: Prescribed Budget.
- Provided that if no sanction is communicated to the Board by the thirty-first day of March referred to above, the budget shall be deemed to have been sanctioned by the State Government without any modification.

(2) The Board may if it considers it necessary so to do, prepare a supplementary budget during any financial year for such year and submit it to the State Government for its sanction not later than the thirty-first day of October in the said financial year and the State Government may pass such orders with reference thereto as it thinks fit and shall communicate the same to the Board by the thirtieth day of November of the said financial year and the Board shall give effect to such orders:

Provided that if no sanction is communicated to the Board by the thirtieth November, the supplementary budget shall be deemed to have been sanctioned by the State Government without any modification.

Audit of the accounts of the Board.

15. The accounts of the Board shall be audited annually by such agency as may be prescribed by the State Government and a copy of the audited accounts and balance sheet shall be submitted by the Board to the State Government by such date each year as the State Government may, by Rules, prescribe.

Powers and duties of the Chairperson.

16. (1) It shall be the duty of the Chairperson to ensure that the provisions of this Act and the regulations are faithfully followed and he shall have all the powers necessary for this purpose.

(2) The Chairperson may, whenever he deems fit, call a meeting after giving a notice of not less than twenty-one clear days, and shall be bound to call a meeting, within fourteen days of the receipt of a written request signed by not less than nine members of the Board, stating therein the business to be placed before the meeting.

(3) In any emergency arising out of the business of the Board, which in the opinion of the Chairperson warrants immediate action to be taken, the Chairperson shall take such action as he deems necessary, and shall place his action taken report in the next meeting of the Board.

(4) The Chairperson shall exercise such other powers as may be vested in him by regulations.

(5) The Chairperson may delegate such powers and entrust such duties as are conferred and imposed on him by or under this Act to the Director, by an order in writing specifying the powers delegated and duties entrusted.

Officers and servants of the Board.

17. (1) There shall be a Director of the Board, and such number of Controllers, Joint Controllers, Deputy Controllers, Assistant Controllers and other officers as the State Government may consider necessary.

(2) The State Government shall appoint officers against the deputation posts in consultation with the Board.

(3) The Board shall appoint officers against the departmental posts in accordance with the rules prescribed by the State Government.

(4) The Board shall, subject to the provisions of sub-section (6), appoint such officers including superintendents and other servants, as it considers necessary for the efficient performance of its functions.

(5) The service conditions of the officers and servants of the Board shall be such as may be prescribed by the rules.

(6) The Board shall not create any post without prior approval of the State Government.

Powers and duties of the Director.

18. (1) The Director shall be the principal administrative officer and shall, subject to the control of the Chairperson, perform such duties as may be assigned to him by the Board.



(2) The Director shall be responsible to ensure that all moneys are spent on purposes for which they have been granted or allotted.

(3) The Director shall be responsible for organizing the meetings of the Board and the Executive Committee.

(4) The Director shall exercise such powers as may be prescribed by the regulations.

19. (1) There shall be Executive Committee of the Board, comprising the following members :— Executive Committee.

(a)	Chairman, Madhya Pradesh Professional Examination Board.	Chairperson
(b)	Principal Secretary or Secretary, Government of Madhya Pradesh, Technical Education and Training Department.	Member
(c)	Principal Secretary or Secretary, Government of Madhya Pradesh, Finance Department.	Member
(d)	Principal Secretary or Secretary, Government of Madhya Pradesh, Medical Education Department	Member
(e)	Vice-Chancellor, Rajiv Gandhi Proudयोगिकी विश्वविद्यालय, Bhopal.	Member
(f)	Director, Technical Education	Member
(g)	Director, Madhya Pradesh Professional Examination Board	Member-Secretary

(2) The Executive Committee shall meet at least once in three months:

Provided that the Chairperson of the Board may call the meeting any time if he deems necessary.

(3) Four members shall form the quorum for the meeting of the Executive Committee.

(4) Subject to the general control, direction and superintendence of the Board, the Executive Committee shall be competent to deal with any matter within the competence of the Board.

### CHAPTER III MISCELLANEOUS

20. (1) The Board may, from amongst its members and officers and other persons, constitute such committees as may be prescribed by the regulations, to aid and advise the Board and the Executive Committee in discharge of their functions and in particular may constitute the following committees:— Constitution of Committees.

- (a) Curriculum Committee;
- (b) Examination Committee; and
- (c) Finance Committee.

(2) Every such committee shall consist of such members of the Board and of such other persons as may be prescribed by the regulations.

(3) Members of such committees shall hold office during such time as the Board which appointed them specifies from time to time.

Exercise of powers delegated by Board to Committees.

21. All matters relating to the exercise by the Board of the powers conferred upon it by this Act which have by regulations been delegated by the Board to any Committee constituted under section 20 shall stand referred to that Committee, and the Board before exercising any such powers shall receive and consider the report of the Committee with respect to the matter in question:

Provided that where in the opinion of the Board immediate action is necessary with respect to any such matter, it may proceed to deal with it without the report of the Committee in respect thereof and pass such orders thereon as it considers necessary.

Proceedings not invalidate by reason of vacancies.

22. Subject to the provisions of this Act or any rules, regulations or byelaws made thereunder, no act or proceeding of the Board, the Executive Committee or of a Committee constituted under section 20 shall be invalid merely by reason of the existence of a vacancy amongst the members of the Board or such Committee.

Power to make rules.

23. (1) The State Government may, make rules for carrying out all or any of the purposes of this Act.

(2) All rules made under sub-section (1) shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

Power of the Board to make regulations.

24. (1) The Board may make regulations not inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the Board may make regulations providing for all or any of the following matters, namely:—

- (a) the conduct of the examinations;
- (b) the fees for admission to the examinations of the Board;
- (c) publication of the results of the examinations conducted by the Board;
- (d) issuing mark-sheets, certificates etc. to the candidates who appeared in the examinations conducted by the Board;
- (e) imposition of penalties on candidates using unfair means or interfering in the examinations conducted by the Board;
- (f) appointment of experts, officers and employees for various activities, and determination of their duties and powers and termination of their appointments;
- (g) determination of the honorarium or remuneration of the persons mentioned in clause (f) above;
- (h) determination of the standards and expenditure in respect of the examinations, and other related activities;
- (i) preparation of database in respect of examinations conducted by the Board;
- (j) instituting and awarding scholarships, medals and prizes;
- (k) appointment of officers, clerks and other servants of the Board and the conditions of their service;
- (l) control, administration, safe custody and management in all respect of the finances of the Board;

- (m) development and publication of Test Bank for different entrance examinations;
- (n) to organize counselling for admission process after the entrance examinations;
- (o) development of modern infrastructure for giving online career counselling to the students of different levels;
- (p) organizing skill tests and award certificates in particular professions, on the instructions of the State Government;
- (q) all matters which by this Act are to be or may be provided for by regulations.

(3) The regulations made under this section shall be subject to the conditions of previous publication in the manner set forth in section 24 of the Madhya Pradesh General Clauses Act, 1957(No. 3 of 1958), and shall not take effect until they have been approved by the State Government and published in the Gazette.

(4) When the first draft of the regulations is submitted by the Board to the State Government for approval under sub-section(3), the State Government shall, within a period of three months from the date of submission of such draft communicate to the Board either its approval or refusal to the draft, or may suggest such modifications therein, as may be deemed necessary in the draft, and if the State Government fails to take any action within the aforesaid period, the final draft submitted by the Board shall be deemed to have been approved by the State Government, and shall be published in the Gazette accordingly.

25. As from the date specified for the establishment of the Board under sub-section (1) of Section 3, the following consequences shall ensue, namely:-

Consequences to ensue on establishment of the Board.

- (a) the Professional Examination Board, existing immediately before the date aforesaid, shall be merged in the Board;
- (b) all assets and liabilities of the existing Professional Examination Board of the State Government shall vest in the Board established under Section 3;
- (c) all the employees belonging to or under the control of the existing Professional Examination Board shall be deemed to be the employees of the Board established under section 3:

Provided that the terms and conditions of service of such employees shall not be modified in such a manner that it is less favourable to them;

- (d) all the records and papers of the existing Professional Examination Board shall vest in and be transferred to the Board established under Section 3;
- (e) any action or process in motion under the existing Professional Examination Board shall stand transferred to the Board established under Section 3.

26. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty:

Power to remove difficulties.

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.